

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पत्रांक-1/स्था०(पदा०)-06/2022...../वि०, दिनांक-.....

:: आदेश ::

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा परिचारित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवा अन्तर्गत बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा एवं बिहार अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारियों को अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति के पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने के निमित्त विचार करने के लिए निम्नांकित प्रकार से विभागीय स्क्रीनिंग समिति गठित की जाती है:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना। | — | अध्यक्ष |
| 2. | श्री महावीर प्रसाद शर्मा, विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना। | — | सदस्य |
| 3. | सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा
मनोनित पदाधिकारी। | — | सदस्य |
| 4. | अनु० जाति/जनजाति समुदाय के पदाधिकारी
जो अवर सचिव से अन्यून स्तर के न हो। | — | सदस्य |
| 5. | अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो अवर
सचिव से अन्यून स्तर के हों। | — | सदस्य |

ह०/-

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(पदा०)-06/2022...../वि०, दिनांक -.....

प्रतिलिपि:-उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(पदा०)-06/2022...../वि०, दिनांक -.....

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(पदा०)-06/2022...../वि०, दिनांक -.....

प्रतिलिपि:-श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनॉलिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rmandal

30-06-2026

सरकार के अवर सचिव।